बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या–व.सं./80/2019– 328

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना–14, दिनांक– 07/04/2020

विषय : बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया, धौरया, चान्दन, बौसी, फुल्लीडुमर, बेलहर, बराहाट एवं बाँका प्रखंड के पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.867 हे० वन भूमि "Vindhya Telelinks Ltd पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति।

प्रसंग : विभागीय संकल्प संख्या वन भूमि 24/2012–474 (ई०) दिनांक 30.08.2012 एवं वन भूमि 24/2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 193 (ई०) दिनांक 07.02.2020 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति संसूचित करने हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

तद्आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय पत्रांक व.सं./80/2019–127 दिनांक 10.02.2020 द्वारा विषयाधीन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में लगाये गये शर्त्तों के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी सहायक महाप्रबंधक विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड, पटना, बिहार के पत्रांक VTL/OFC/FRST/BHR/WO/20/19 दिनांक 28.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है–

क्रम सं०	Stage-I में अधिरोपित शर्त्त	अनुपालन स्थिति
1	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वैधानिक स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 2.867 हे० वन भूमि के बदले में दुगुने अवकृष्ट वन भूमि में बाँका वन प्रमंडलन्तर्गत 6.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि माताथान फुल्लीडुमर टोला–धावावरण PF सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 26,30,986/– मात्र का क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जो परियोजना खर्च से किया जायेगा। इस निमित्त प्रयोक्ता एजेंसी रू० 26,30,986/– मात्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध करायेगी।	क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० 26,30,986/– (रू० छब्बीस लाख तीस हजार नौ सौ छियासी) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है।
3 एवं 4	क्षतिपूरक वनीकरण मद की कुल राशि रू० 26,30,986/– (रूपये सात लाख चार हजार चार सौ दस) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट **parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा एवं** जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति में दी जाय।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा CA मद कि कुल राशि रू0 26,30,986/- (रू० छब्बीस लाख तीस हजार नौ सौ छियासी) मात्र को Ad-hoc CAMPA लेखा में जमा करा दी गयी है जो Ministry Web-Site पर प्रदर्शित है।
5	वर्त्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि NPV के दर मे वृद्धि होने पर उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण के क्रम में किसी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
7	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सूचना दी गयी है कि परियोजना निर्माण के क्रम में वन भूमि से मिट्टी या कोई अन्य Material नहीं लिया जायेगा और न ही कचड़ें आदि का Disposal वन भूमि पर किया जायेगा।
8	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
9	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।

10	वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
11	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-II स्वीकृति के पूर्व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही Working permission प्रयोक्ता एजेंसी को निर्गत किया जायेगा।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक 500 दिनांक 21.03.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिला पदाधिकारी बाँका द्वारा निर्गत FRA, 2006 समर्पित की गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
13	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्त्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
14	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्त्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।
15	उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में सहायक महाप्रबंधक विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड, पटना) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन शर्त्तों के अनुपालन की सहमति प्रदान की गयी है।

विभागीय पत्रांक वन भूमि 24/2012 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य स्वीकृति के तहत चिन्हित कार्यों हेतु वन भूमि अपयोजन के मामलों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा अपयोजन आदेश निर्गत किया जायेगा।

उक्त अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये 5 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

तदआलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही। **प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय ताकि नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-II की स्वीकृति पत्र निर्गत किया जा सके।
अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन, 07.4.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।